निर्माण कामगार के रूप में किये गये कार्य के लिए प्रमाण-पत्र (...... माह वर्ष से माह वर्ष तक) अधिकतम एक वर्ष तक ही भरा जाये

	प्रमाणित किया जाता है	कि श्री/सुश्री/श्री	मति	
पुत्र/	पुत्री / पत्नी श्री	निवासी		ने निर्माण
कामग	ार के रूप में उपरोक्त वर्णित एव	न वर्ष के अवधि में	कुल f	देनों तक कार्य किया
है जि	सका विवरण निम्न प्रकार से है:			
क्रं0 सं0	निर्माण कार्य स्थल का पता	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	नियोजक / ठेकेदार का नाम, पता व फोन नं0
1				
2				
3				

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर (कार्यालय मोहर सहित)

	(नगनारान गर्वर राजिर)
स्थान	नाम
दिनांक	पद
	फोन नं0

(नियोजक अथवा ठेकेदार/पंचायत सचिव/ग्राम सचिव/कानूनागों व पटवारी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी/तहसीलदार व नायब तहसीलदार/जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी/सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य,/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक/सभी सरकारी विभागों/बोर्ड व निगमों के सभी उपमंडल अभियंता व किनष्ठ अभियंता/राज्य की नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषदों तथा नगर निगमों के सभी सचिव, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम अभियंता तथा किनष्ठ अभियंता में से किसी एक द्वारा प्रमाणित)